

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p align="center">वीसाल ल. <u>23/2010</u> दाया</p> <p align="center">आज्ञा विस्तृत रूपसे</p>
	<p>21-1-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-1-25 को पेश हो।</p> <p align="right">रीडर</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट विराटनगर (राजस्थान)</p>
	<p>23-1-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-1-25 को पेश हो।</p> <p align="right">रीडर</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट विराटनगर (राजस्थान)</p>
<p>देश मुद्रा 29-1-25</p>	<p>29-1-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण अनुपस्थित रहे। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादीगण व वादीगण को उपस्थित होने हेतु कई अवसर दिखे गये परन्तु वादीगण की तरफ से उचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादीगण के अधिवक्ता एवं वादीगण को न्यायालय डाक बार-बार आवक लगवायी गयी। उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दावा अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी के शरिफ किया जा रहा है। पत्रावली फंसाल शुमार लेकर भण्डार से कम हो बाद वकील वादीगण दफ्तर है।</p> <p align="right">Anita उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)</p>